

हत्या के 15 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने 29 लोगों को सजा सुनाई

आरोपी पक्ष के 14 को उम्रकैद की सजा व दूसरे पक्ष के 15 लोगों को 2-2 साल की जेल

अलवर, (निसं)। अलवर के खेडूली थाना इलाके के 15 साल पुराने हत्या के मामले में अलवर की एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की जज अनिता सिंघल ने एक पक्ष के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे पक्ष के 15 लोगों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाते हुए प्रोविजन का लाभ दिया है।

यह मामला 16 सितंबर 2010

■ खेड़ली थाना इलाके के 15 साल पहले पुराने रास्ते को लेकर विवाद में एक जने की हत्या का मामला

का है, जिसमें घाटा भंवर गांव के परिवारी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव के पुराने रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों ने रास्ता जोत दिया और जब गांव वालों ने विरोध करते हुए रास्ते पर पत्थर गाड़े तो आरोपियों ने वे पत्थर भी उखाड़कर फेंक दिए। विवाद बढ़ने

पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और फरसी से हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में खेड़ली पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर

चार्जशीट पेश की थी। ट्रायल के दौरान आरोपियों में से खुड़िया राम और एक अन्य की मृत्यु हो गई, जबकि एक आरोपी हरि अभी भी फरार है। कोर्ट ने पप्पू राम, बबलू, मुकेश, विजय, नरोत्तम, बच्चू राम, लाल राम, प्रकाश, शंभू, रामबाबू, वकील, कुंदन, राधेश्याम और हरिमोहन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इसी मामले में क्रॉस मुकदमा हुआ था जिसमें दूसरे पक्ष के 15 लोगों शेव

प्रसाद, होती, अमरसिंह, रakesh, बनवारी, काला, रामसिंह, अशोक, रमेश, राजेंद्र, पुट्टल, नारायण, कमल, ननुगु और सुजन को दो-दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि सभी को कोर्ट ने प्रोविजन का लाभ देते हुए सशर्त राहत प्रदान की है। सरकारी वकील योगेंद्र खटना ने बताया कि अभियोक्ता पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

तहसील कार्यालय का कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार

सवाई माधोपुर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सवाई माधोपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय बनवाला जिला सवाई माधोपुर के कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह को साढ़े अठारह हजार

■ तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया

रुपये की लेते गिरफ्तार किया गया है। जानकारी में सामने आया कि कार्यालय तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के कहने पर कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह ने रिश्वत ली। इस मामले में तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया, जिसकी एसीबी की टीम तलाश कर रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि



आरोपी कार्यालय सहायक।

एसीबी की सवाई माधोपुर टीम को परिवारी ने शिकायत दी कि उसके पिता द्वारा जरिये दानपत्र की गयी भूमि की रजिस्ट्री करवाने की एवज में तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की ओर से कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह के मार्फत से रिश्वत मांग रहा है। वहां उसके पिताजी के नाम की कृषि भूमि

को परिवारी की पत्नी के नाम से भूमि की रजिस्ट्री करवाने की एवज में तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता अपने कार्यालय में पदस्थापित कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मार्फत परिवारी से तहसीलदार व स्वयं लिये 28 हजार 500 रुपये चालान सहित रिश्वत मांगी। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह ने परिवारी से ऑनलाइन चालान सीताराम की ई-मित्र की दुकान पर 10 हजार रुपये करवा दिया एवं शेष राशि 18 हजार नहीं होने पर रजिस्ट्री के दिन लेने पर सहमत हुआ, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर के ज्ञान सिंह चौधरी ने शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप की कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक को कुलदीप सिंह 18 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है व तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया।

ज्वैलर से 38 लाख की लूट के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

अलवर, (निसं)। अलवर शहर में टेल्को चौराहे के पास राधा ज्वैलर्स में शनिवार को दिनदहाड़े हुई 38 लाख रुपए की बड़ी लूट के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इधर,

सोनी ने कहा कि एसपी व एसपी ने बदमाशों की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। व्यापार महासंघ के प्रतिनिध प्रमोद विजय ने कहा कि ज्वैलर का माल बरामद नहीं हुआ तो गुरुवार

- अलवर के व्यापारी पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की
- एससी कांबेल शरण गोपीनाथ ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे
- व्यापारियों की मांग है कि बदमाशों की माल सहित गिरफ्तारी हो, वरना दो दिन बाद अलवर बंद करेंगे

सोमवार को सैकड़ों व्यापारी पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। एससी कांबेल शरण गोपीनाथ ने आश्वासन दिया कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इधर व्यापारियों की मांग है कि बदमाशों की माल सहित गिरफ्तारी हो, वरना 2 दिन बाद अलवर बंद करने की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार अलवर शहर में सुबह 10 से 12 बजे सर्राफा बाजार बंद रखा गया। पीड़ित ज्वैलर मोहनलाल

को अलवर बंद रहेगा। अलवर बंद भी अनिश्चितकाल तक किया जा सकता है। अलवर में पुलिस सक्रिय नहीं है। केवल हेलमेट व बेल्ट के चालान काटते हैं। बाकी कोई ध्यान नहीं है। ज्वैलरी एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष ज्वैलर दीपक गर्ग ने कहा कि भविष्य में लूट जैसी वारदात नहीं होने की तसल्ली भी चाहिए। अब दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद अलवर बंद किया जाएगा।

गौरतलब है कि शनिवार दोपहर



सैकड़ों व्यापारी पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे।

करीब तीन हथियारबंद बदमाश दुकान में घुसे थे। कर्मचारियों को बंदूक की नेक पर बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवर और नकदी भरकर लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, लेकिन पुलिस की छह टीमों लगने के बावजूद अभी तक बदमाशों का कोई पता नहीं चला। अग्रवाल धर्मशाला में शहर के सर्राफा व्यापार संघ, स्वर्णकार समाज, संयुक्त व्यापार महासंघ सहित कई व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई।

व्यापारियों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और माल बरामदगी की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि शहर में दिनदहाड़े व्यापारी और दुकानों निशाने पर हैं, जबकि पुलिस सिर्फ हेलमेट और बेल्ट चेक करने में लगी रहती है। शहर में नाकाबंदी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं कर रही है।

कोटा थर्मल प्लांट में अजगर ने श्रमिक पर हमला किया

कोटा, (निसं)। कोटा सुपर थर्मल प्लांट में बड़ी घटना सामने आई एक अजगर ने यूनिट में काम कर रहे ठेका श्रमिक नंद सिंह के पैर को जकड़ लिया। नंद सिंह की आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी भी वहां पर आए, लेकिन अजगर ने उसके पैर को पूरी तरह से जकड़ रखा था। श्रमिक के साथियों ने मिलकर उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाया। अजगर की पकड़ से छूटने के बाद नंद सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे थर्मल परिसर में हड़कंप मच गया।

कर्मचारी नंद सिंह ने बताया कि वह ठेका फार्म के जरिए थर्मल परिसर में काम करता है। उसकी ड्यूटी यूनिट नंबर 5 में थी। वो 12.30 के आसपास पार्किंग एरिया में था। इसी दौरान वहां पर एक अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और पैर को

- अजगर करीब 10 फीट लंबा और एक क्विंटल के आसपास वजनी था
- श्रमिक के साथियों ने मिलकर उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाया

जकड़ लिया। शख्स को अजगर खींचकर झाड़ियां में ले गया। उसने बताया कि मेरी किस्मत ठीक थी कि अन्य कर्मचारी मेरे नजदीक थे और मेरी आवाज सुनकर वे तत्काल पहुंच गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को मेरे से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी फिर मुझे अजगर की जकड़ से छुड़ा लिया। अन्यथा मेरी जान

जा सकती थी। ठेका श्रमिक सचिन शर्मा का कहना है कि तत्काल अजगर को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसकी पकड़ और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रही थी। अजगर के मुंह डंडे से दबा दिया था। ताकि वह नंद सिंह को छोड़ दे। यह अजगर करीब 10 फीट लंबा और एक क्विंटल के आसपास वजनी था।

थर्मल के रिटायर्ड कर्मचारी और

आरएस भर्ती-2024 : प्रथम चरण के साक्षात्कार पत्र अपलोड

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा साक्षात्कार पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे।

साक्षात्कार के समय, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फार्म एवं सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां और संलग्नक दस्तावेजों की एक प्रति

- आयोग द्वारा साक्षात्कार पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे

स्वहस्ताक्षरित (मूल दस्तावेजों सहित) आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। विस्तृत आवेदन पत्र की ऑनलाइन शुल्क 50 रूपए की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत आवेदन पत्र व अटेस्टेशन फार्म की 2 प्रतियों में यथास्थान पर फोटो चस्पा करते हुए 3 अतिरिक्त फोटो भी अभ्यर्थियों को साथ लानी होगी।

दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश :-आयोग ने विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी वेबसाइट पर जारी किए हैं। इनकी पालना

साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को करनी होगी।

पदों की संख्या में वृद्धि, शुद्धि पत्र जारी :- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) भर्ती-2025 अंतर्गत शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

आयोग सचिव ने बताया कि कनिष्ठ रसायनज्ञ के 13 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 2/2025-26 दिनांक 2 अप्रेल 2025 को जारी किया गया था। विभाग द्वारा कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या 16 हो गई है, जिनके संशोधित वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 13/2025-26 जारी किया गया है। अभ्यर्थी रसका अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

किसान से मारपीट मामले में छबड़ा विद्युत निगम के जेईएन को निलम्बित किया

छबड़ा, (निसं)। स्थानीय विद्युत निगम कार्यालय में विद्युत उपकरण लेने गए किसान के साथ जेईएन हाथापाई पर उतर आया और किसान के साथ लात-चूसों से मारपीट की। जिसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री सहित सीएमडी से मुलाकात कर जेईएन को निलंबित किए जाने की मांग की। इस पर निगम ने तत्परता दिखाते हुए जेईएन को निलंबित कर दिया।

जानकारी अनुसार एक ओर तो सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उधर, छबड़ा विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता रजनीश चावला ने सारी महीनाओं को तोड़ते हुए विद्युत लात मांगने गए इब्राहिमपुर जदीद निवासी किसान धीरपसिंह लोधा के साथ गाली-गलौच की और किसान द्वारा विरोध करने पर उसके साथ लात-चूसों से मारपीट भी कर डाली। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी को जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली तो सबसे पहले उन्होंने निगम की सीएमडी आरती डोगरा व मुख्यमंत्री कार्यालय में डीआईजी से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी एवं दोषी जेईएन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके

- विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री सहित सीएमडी से मुलाकात कर जेईएन को निलंबित किए जाने की मांग की, निगम ने जेईएन को निलंबित कर दिया
- विद्युत निगम कार्यालय में विद्युत उपकरण लेने गया था किसान, कनिष्ठ अभियंता रजनीश चावला ने गाली-गलौच की और लात-चूसों से मारपीट भी कर डाली

विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पर निगम ने तत्परता दिखाते हुए जेईएन चावला को निलंबित कर दिया। किसान ने जेईएन पर अभद्रता व मारपीट का आरोप लगाया:- किसान धीरपसिंह ने बताया कि उन्होंने कनेक्शन के लिए फाईल लगा रखी थी और कनेक्शन के लिए पत्र कम पड़ गया था। वह जेईएन से तार देने के लिए निवेदन करने गया था। परंतु जेईएन ने उसकी बात नहीं सुनी और धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उसके लात-चूसों से मारपीट की। उसने जेईएन के साथ कोई मारपीट नहीं की।

जेईएन ने किसान पर पहले मारपीट का लगाया आरोप:- जेईएन रजनीश चावला ने बताया कि धीरपसिंह द्वारा कनेक्शन के लिए फाईल लगाई गई थी जिसकी लागत बाई माह पूर्व इंडेंट काटकर मैंने उसे भेज दी थी। सोमवार को धीरपसिंह मेरे पास आया और मुझसे

कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर दे दो। इस पर मैंने उससे कहा कि अभी आपकी लाईन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि मेरे पास तार कम पड़ रहा है। इस पर उन्होंने धीरपसिंह से कहा कि तार स्टोर से ले लो। इस पर धीरपसिंह ट्रांसफार्मर की इंडेंट देने की जिद करने लगा और मेरे साथ गाली-गलौच पर उतारू हो गया। आपसी बहस में धीरपसिंह ने उनके थपड़ जड़ दिया। उन्होंने बचाव करने के लिए हाथापाई की। उन्होंने किसान के विरुद्ध थाने में परिवार सौंप दिया है।

किसान से मारपीट करने वाला जेईएन निलंबित:- किसान के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीबीएनएल) ने अधीनस्थ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर रजनीश चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोमवार को

विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने इस प्रकरण को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात कर संबंधित कर्मचारी पर कठोर व त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। सिंघवी की मांग के उपरांत मामले को गंभीर मानते हुए जेवीबीएनएल ने कर्मचारी विनियम, 1962 के तहत निलंबन आदेश जारी कर दिया। विधायक सिंघवी ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसान के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार या मारपीट जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।

किसान व विद्युत कर्मचारी संघ ने दिए ज्ञापन:- इस मामले में भा.कि. सभा ने एसडीएम को जापान सौंपकर जेईएन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। वहीं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने एसडीएम को जापान सौंपकर पूरे मामले की जांच करवाकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

सीआई राजेश खटाणा ने बताया कि किसान धीरपसिंह ने जेईएन रजनीश चावला द्वारा उसके साथ अभद्रता व मारपीट करने की रिपोर्ट पेश की है। किसान की रिपोर्ट पर जेईएन चावला के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

पिता-पुत्र पर सरियों से जानलेवा हमला

पावटा, (निसं)। पावटा में शुक्रवार 21 नवम्बर को शाम बाइक सवार दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने पिता-पुत्र पर सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस गंभीर मामले में पीड़ित महावीर प्रसाद निवासी राजस्थान स्कूल के पीछे, शर्मा कॉलोनी पावटा ने प्राणपुरा थाना में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह शाम करीब सात बजे अपने पुत्र नितेश के साथ दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों मोदी मंदिर के पास नाहरजी खेलावानी मिल के समीप पहुंचे, वहां पहले से बाइक पर खड़े दो बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति, उन्होंने

चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था अचानक उनको देखते ही उन पर टूट पड़े। दोनों अज्ञात हमलावरों ने सरियों से महावीर प्रसाद पर हमला किया, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के दौरान उनका पुत्र नितेश पीछे बैठे होने से बाल-बाल बच गया। घायल महावीर प्रसाद को मौके पर पहुंचे सुशील योगी द्वारा तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्राथ्ी ने पहचान स्वरूप एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। महावीर प्रसाद की वहावर पर थाना प्राणपुरा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

खंभे पर काम करते करंट से दो युवक झुलसे, एक की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के पंडेर थाना क्षेत्र के बालापुरा और अछेपुरा गांव के बीच रविवार को बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट लगने से दो युवक झुलस गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतक की पहचान हीरालाल कीर के रूप में हुई है, जिसका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोरंची में रखवाया है। गंभीर घायल बाबूलाल मीणा को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर

किया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बिजली विभाग की ओर से लिए गए शटडाउन के दौरान खंभे पर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक करंट आने से दोनों की हालत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस और बिजली विभाग को दी। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है।

Rajasthan Council of School Education		
S. Radha Krishnan Shiksha Sanstha, 5th Block, 2nd & 3rd Floor, JLN Marg, Jaipur - 17 Ph: 0141-2700366, 2715590, 2715550, E-Mail: rajssa.acct@yaho.co.in; rcsa.ict@gmail.com		
No.: - (Ref No.) 2066	Dated :- 18/11/2025	
Corrigendum (NIB : 05/2025-26)		
In reference NIB 05/2025-26 dated 06-10-2025 (UBN No.: RSE2526GLOB081594) for Supply, Installation, Testing, Commissioning and operations of ICT Labs in 3213 Govt. Schools. Some clarification/Corrigendum/Addendum regarding bid and other details may be seen at State Public Procurement Portal website www.sppp.raajasthan.gov.in or website www.raajssma.nic.in and e-proc portal.		
Raj.Samwad/C/25/14494		State Project Director

कार्यालय नगरपरिषद बहरोड़ जिला-कोटपूतली-बहरोड़		
Email id:-behroor.jaipur@gmail.com	Phone no. 01494-220090	
क्रमांक:- न.प.ह./ निर्माण / 2025 / 3006	दिनांक:-19.11.2025	
ई निविदा सूचना संख्या – 10/2025-26		
नगरपरिषद बहरोड़ की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सील बंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा website www.sppp.raj.nic.in/proc.raajasthan.gov.in से download कर देखी। प्रार्थना की जा सकती है।। RTPP एक्ट की शर्त मान्य होगी एवं अन्य शर्तों का कार्यालय समय में देखी जा सकती है।।		
जिसके Nib Code व UBN Number निम्न प्रकार हैं।		
UBN Code-DLB2526A8247		
NIB No.-DLB2526SLOB284653		
राज.सं.बाद / सी / 25 / 14494		आयुक्त नगरपरिषद बहरोड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम		
क्रमांक :- 3045-51	दिनांक: 17/11/2025	
ई-निविदा सूचना संख्या: 07/2025-26		
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला करौली (खण्ड टोडाभीम) में सड़क/भवन कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेद्यकों एवं राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिगत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेद्यकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेद्यकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रत्ये ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण बेससाईट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेद्यकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से बेससाईट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर दर्खा जा सकता है।		
NIB Code:PWD2526A4355		
UBN No.-PMD2526WSOB7070		
DIPRC/17113/2025		

राजस्थान सरकार		
कार्यालय निदेशक, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर		
(दूरभाष नं. 0141-2820360, email-dirarch@rajasthan.gov.in)		
क्रमांक: पु.सं./स्मा./तक / चांदपोल गेट पार्किंग/2025/17015	दिनांक-14/11/2025	
ई-बिड सूचना		
चांदपोल गेट, आमेर महल परिसर में पार्किंग स्थल के लिए एक भूतल एवं एक उपरती फ्लोर पर 06.01 लाख के कुल 03 कार्यों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 19.11.2025 एवं अंतिम तिथि 28.11.2025 तथा निविदा खुलने की तिथि 01.12.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.raajasthan.gov.in , www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।		
राज.सं.बाद / सी / 25 / 14414		अधीक्षक अभियन्ता, नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डीन सिटी, जिला करौली (राज.)		
क्रमांक:- न.प.हि././2025-26 / 8215	दिनांक:-20.11.2025	
ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26		
नगर परिषद हिण्डीन सिटी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निविदा प्रमावी होने की तिथि को मुख्यमन्त्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित कार्यों के लिये निर्माण सामग्री आपूर्ति प्था ग्रेवल, ईट, पत्थर, रेज / बजरी, क्रेकरशाल्ट, मिट्टी,सीमेंट,चूना,पट्टियॉन,बाईंडिंग बायर,लोहा,सरिया,लोहे के दरवाजे एवं खिडकियों,पानी के टैंकर सलाई,मशीनें / उपकरण एवं परिवहन इत्यादि सामग्री की आपूर्ति हेतु दिनांक 31.03.2026 तक या आगामी आदेश तक निविदाएं आमंत्रित की जातीहैं। निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता का वाणिज्य कनिष्ठग में जीएसटी अधिनियम 2017 में पंजियन एवं कम से कम बी श्रेणी में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण एवं शर्तें वेबसाईट http://sppp.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.gov.in पर देखी जा सकती है।		
UBN NO. DLB2526WSOB284858	समापति	आयुक्त
राज.सं.बाद / सी / 25 / 14495	नगर परिषद हिण्डीन सिटी	नगर परिषद हिण्डीन सिटी

	कार्यालय नगर निगम, अजमेर झलराही बाई सांस्क के पास पेशाबील-लोहाहन मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145-2429971, 2429920	
क्रमांक :-MEW/2025-26/1508	विनांक:- 20.11.2025 ०॥ अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 45/2025-26 ॥	
नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजस्थान विभाग में उपयुक्त विधि में पंजीकृत संवेदकों जो कि केन्द्रीय लोक निगम विभाग, डाटा एवं सूचना, खेती या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों को राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के सम्बन्ध में (निविदा प्राप्त पंजीकरण के नियमों के अनुसार मात्र) जो निर्धारित प्रारम्भ ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से सिल्विन निर्माण कार्य एवं ड्राई ऑनलाईन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।	निविदा कार्यों की कुल लागत ऑनलाइन निविदा प्राप्त डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि प्री-बिड निविदा की तिथि व समय Technical निविदा खोलने की तिथि व समय Financial निविदा खोलने की तिथि	राशि 645.96 लाख (01 कार्य) Date 20.11.2025 To 26.11.2025 Time 6.00 PM तक Date 24.11.2025 Time 11.00 AM पर Additional Chief Engineer/Chairman (Niman Section)/Municipal Corporation Ajmer Date 27.11.2025 Time 11.00 AM पर सफलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।
बिसुत्त विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajjasthan.gov.in पर ई देवी जा सकनी है। NIB CODE :-ANN2526A0160 UBN NO. :-ANN2526WLB002011 डा.सं.संवार/सी/25/14420	http://sppp.rajjasthan.gov.in पर एवर नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में अधिसाधी अभियन्ता नगर निगम अजमेर	